

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 83.../2024 प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

आरटीएक्ट 1955

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.07.2024	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत द्वारा मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.24 को पेश हों।</p>	
	14/8/24	<p>वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी पत्रिका रिपोर्ट सादर की मूल वाद में दावे की राई में भी तलबी की जाती है। वाद प्रार्थी द्वारा पत्रावली दिनांक 28/8/24 को पेश की।</p>	
	28/8/24	<p>वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली अप्रार्थी प्रार्थी द्वारा पत्रावली दिनांक 6/9/24 को पेश की।</p>	
	6/9/24	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 11/9/24 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>
	14/10/24	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 25/10/24 को पेश हो।</p>	
	25/11/24	<p>वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी पत्रिका रिपोर्ट सादर की मूल वाद में दावे की राई में भी तलबी की जाती है। वाद प्रार्थी द्वारा पत्रावली दिनांक 9/12/24 को पेश की।</p>	

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

3/11/24

अभय पक्ष उपस्थित/अभिभावक सघ ने
व्यापिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य हैं।
पत्रवली गत आदेशानुसार दि. 24/11/24 को पेश हो।

(रीडर)

24/11/25

अभय पक्ष उपस्थित/अभिभावक सघ ने
व्यापिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य हैं।
पत्रवली गत आदेशानुसार दि. 24/11/25 को पेश हो।

(रीडर)

5/11/25

पत्रवली माफ पेश हुई। वकील/अधीनस्थ/अधीनस्थ
अधीनस्थ को 72 घण्टा पर मुकदमा वकील/अधीनस्थ
ने अपने आ. व. में वकील/अधीनस्थ को के द्वारा देकर
जांच किया कि उशनगत मालगी अधीनस्थ का
2 कोर्टों के दर में तथा अधीनस्थ उस पर कोर्ट
में मालगीगत उक्त अधीनस्थ मालगी मा. प. 100
व्यक्ति द्वारा मा. 100 है जिसे र. 100 दि. 100
में पाठ्य पत्रों का डिग्री किया।

उक्त पत्रवली का हलफावत दिया तथा
पत्रवली का हलफावत किया गया। उशनगत मालगी
अधीनस्थ के मा. प. 100 के दर में तथा मालगी
को र. 100 दि. 100 है पाठ्य पत्रों उचित
लगाए हैं। अ. 100, मालगी (प. 100) 11/70/0.20 है
11/71/0.08 है, 1207/0.58 है, कुल मिला 2 (द. 100)
0.86 है, वकील/अधीनस्थ मालगी मा. प. 100
अधीनस्थ के अन्तर्गत में मालगी अधीनस्थ 100/100/100
नहीं जाने इस अधीनस्थ के शान्ति पूर्वक अन्तर्गत अ. 100
कोर्ट के कोई व्यवधान पेटा नहीं गते का. 100/100
100) को र. 100 दि. 100 है कुल मा. के विस्तारण
तथा पत्रवली दिया गया है। पत्रवली के मा. प. 100/100/100
दोषित कुल मा. के हलफावत रहे। अ. 100/100/100
5/11/25 को है 100/100/100

उपस्थित अधिकारी
साहबपुरा (जयपुर-राजीव)